राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकः–प 10(3)राज–6/2001/07 जयपुर, दिनांकः– 7/7/17

समस्त जिला कलक्टर,

राजस्थान।

परिपत्र

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0 1132/2011 जगपाल सिहं व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 में प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना के क्रम में इस विभाग द्वारा चरागाह भूमियों के आवंटन, नियमन, खनन एवं अन्य प्रयोजनार्थ अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने आदि के संबंध में पूर्व में जारी समस्त निर्देशों/परिपत्रों के अतिक्रमण में चरागाह भूमि/जोहड़ पायतन (catchment of a pond/water reserviors) और तालाबों (ponds) की भूमियों में से निजी अथवा व्यावसायिक उपयोग के लिए दी गई भूमियों अर्थात किये गये आवटनों को अवैध माना जाने से इस विभाग के परिपत्र दिनांक 25.4.2011 से उपरोक्त भूमियों के आवंटन/नियमन को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक रोक लगाई गई। उक्त परिपत्र दिनांक 25.04.2011 के क्रम में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 के प्रावधानानुसार विहित सीमा तक चरागाह भूमियों का आवंटन जिला कलक्टर द्वारा राजकीय विभागों को राजकीय प्रयोजन के लिए करने हेतु इस विभाग के परिपत्र दिनांक 17.04.2013 से निर्देशित किया गया। इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25.04.2011 एवं दिनांक 17.04.2013 के क्रम में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 के प्रावधानानुसार विहित सीमा तक चरागाह भूमियों का आवंटन जिला कलक्टर आबादी विस्तार, श्मशान एवं कब्रिस्तान के प्रयोजन के लिए आवंटन किये जाने हेतु इस विभाग के परिपत्र दिनांक 26.06.2013 से निर्देशित किया गया। इस विभाग के परिपत्र दिनांक 25.04.2011 एवं दिनांक 17.04.2013 के निरन्तरता में विधि विभाग से इस बिंदु पर मार्गदर्शन चाहा गया कि ''क्या चरागाह भूमि के बदले अन्य भूमि को चरागाह घोषित कर उक्त भूमि में खनन की स्वीकृती दिया जाना मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के प्रतिकूल तो नही होगा?'' उक्त बिंदु के संबध में विधि विभाग द्वारा चरागाह भूमि के बदले अन्य भूमि को चरागाह घोषित कर उक्त भूमि में खनन की स्वीकृति दिया जाना मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के प्रतिकूल माना है। अतः भविष्य में चरागाह भूमि के बदले अन्य भूमि को चरागाह घोषित कर उक्त भूमि में खनन स्वीकृती संबधी

आवंटन के प्रस्तावों पर विचार नही किये जाने बाबत् परिपत्र दिनांक 17.09.2013 जारी किया गया।

उक्त जारी परिपत्रों को राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमित किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 10(3)राज–6/2001/7 दिनांक 25.4.2011, परिपत्र क्रमांक एफ 10(3)राज–6/2001/15 दिनांक 17.4.2013, परिपत्र क्रमांक एफ 10(3)राज–6/2001/5 दिनांक 26.6.2013 व परिपत्र क्रमांक एफ 10(3)राज–6/2001/6 दिनांक 17.09.2013 को अतिक्रमित करते हुए यह निर्देश दिये जाते है कि चरागाह भूमि का आवंटन या उसे अलग रखने के लिए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 के प्रावधानानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(पी.एस. बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
6. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
7. विशिष्ठ शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/ उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव